

शंकर दास वीणा भीष्मदास पीड राजस्थान सरकार

श्री 15/23 पत्रावली चैरा हुई। वादी एवं वादी  
वकील अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज  
लगावई गयी। कोई भी हाजिर अदालत नहीं हुआ। डाक  
दवा अदग हाजरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाते  
हैं। पत्रावली फंसल शुमार ही कर नम्बर से कम ही  
बाद प्रति कारखिल पफतर है। सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
बहरोड़ (अलवर) राज.